

परियोजना निदेशक, वाराणसी के पत्र संख्या: 11015/5/पी0डी0 वाराणसी/रा0रा0 56 लेन/2015-16/17878 दिनांक: 16.05.2015 एवं पत्र संख्या: एन0एच0ए0आई0/दिनांक 12.08.2015 के अनुसार "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम, 2013" के नियम 30 (2) एवं (3) के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र में दर का निर्धारण।

परिशिष्ट-3

ग्राम-नरायनपुर, परगना-मीरानपुर, तहसील-सदर जनपद-सुलतानपुर।

अर्जित क्षेत्रफल	(अर्जित भूमि का) दर प्रति हेक्टेयर	प्रतिकर कालम(1X2)	परिसम्पत्तियों का विवरण (मूल्यांकन)		योग (3+4+5)	फैक्टर	प्रतिफल 100% कालम (06 का)	भू0 अर्जन अधिनियम-2013 की धारा-30(3) के अनुसार धारा-3ए के प्रकाशन तिथि 23.10.2012 से अभिनिर्णय की तिथि 31.03.2015 कुल 889 दिन का 12% अतिरिक्त प्रतिकर (कालम-6 पर)	योग= कालम(6+8+9)	सम्पूर्ण योग कालम(10का)
			बृक्ष	भवन आदि		कालम-3 का नगरीय क्षेत्र में एक गुना				
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
0.5063	4,21,05,263.00	2,13,17,895.00	1,61,809.00	27,28,246.00	2,42,07,950.00	2,13,17,895.00X1 =2,13,17,895.00	2,42,07,950.00	70,75,354.00	5,54,91,254.00	5,54,91,254.00
0.5063	4,21,05,263.00	2,13,17,895.00	1,61,809.00	27,28,246.00	2,42,07,950.00	2,13,17,895.00X1 =2,13,17,895.00	2,42,07,950.00	70,75,354.00	5,54,91,254.00	5,54,91,254.00

सम्पूर्ण योग=रु0 पांच करोड, चौवन लाख, इक्यान्बे हजार, दो सौ चौवन मात्र

अध्याप्ति व्यय=55,49,125.00

पूँजीकृत मूल्य:-मालगुजारीX40गुना,

35.33X40=1,413.20 यानि 1,413.00

(रूपया, एक हजार, चार सौ, तेरह मात्र)

(रामचन्द्र सरोज)

अपर उप जिलाधिकारी-सदर/सक्षम प्राधिकारी, सुलतानपुर।